**संख्या-3/2016/769/एक-7-2016-95/2011**

**प्रेषक,**

**सुरेश चन्द्रा,**
**प्रमुख सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

1- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

**राजस्व अनुभाग-7** **लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016**

विषय:- राजस्व विभाग के सामयिक संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकरण हेतु वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08-09-2010 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 15-03-2012 को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012, दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा प्रदेश की समस्त सेवाओं में कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन सभी प्रकार की भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी पद (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं किये जाने तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के संबंध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त शासनादेशों से राजस्व विभाग में कार्यरत सीजनल संग्रह अनुसेवकों की सुसंगत सेवा नियमावली के अन्तर्गत नियमित चयन के माध्यम से विनियमितीकरण/नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया भी बाधित हो गयी थी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामयिक संग्रह अनुसेवकों की संग्रह अनुसेवक के पदों पर उ0प्र0 संग्रह अनुसेवक सेवा नियामावली, 2004 यथा संशोधित (नियमावली, 2016) के अन्तर्गत निर्धारित विनियमितीकरण कोटे के पदों पर विनियमितीकरण के माध्यम से चयन एवं नियमित नियुक्ति की कार्यवाही हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/दस-59(एम)/2008 दिनांक 08-09-2010 एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15-03-2012 से शिथिलता प्रदान की जाती है।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

**भवदीय,**

**सुरेश चन्द्रा**
**प्रमुख सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-3/2016/769(1)/एक-7-2016, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

3- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

**भवदीय,**

**( क्षेत्रपाल )**
**संयुक्त सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।